- बरेली पुलिस

थाना इज्जतनगर

प्रेस नोट दिनांक 25.09.2025

थाना इज्जतनगर #bareillypolice द्वारा हत्या की घटना का अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

थाना इज्जतनगर पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 924/24 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात में घटना का अभियोग पंजीकरण के 24 घण्टे के अन्दर अनावरण करते हुए प्रकाश में अभियुक्त 1. रफीक उर्फ बबलू पुत्र जुम्मन खां निवासी ग्राम खानपुर थाना कोतवाली ओरैया जनपद ओरैया हाल पता गोविन्दा उर्फ अस्फाक पुत्र मुखत्यार का मकान तालाब के पास मोहल्ला पीर बहोडा थाना इज्जतनगर जनपद बरेली 2. गुड्डू उर्फ तौहीद पुत्र सफीक निवासी पीर बहोडा थाना इज्जतनगर बरेली को दिनांक 24.09.2025 को समय 19.15 बजे विलयधाम पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को रिमाण्ड हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष समय से पेश किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.09.2025 को पीर बहोडा पैट्रोल पम्प के पास एक अज्ञात पुरूष का शव पडा मिला, जिसके शरीर पर चोट के निशान थे व सर से खून बह रहा था। उक्त शव के बारे में जानकारी की गयी तो शव सलीम उर्फ हीरो पुत्र स्व0 अलमुद्दीन निवासी पीर बहोडा थाना इज्जत नगर बरेली उम्र करीब 30 वर्ष का होना पाया गया । शव के पंचायतनामा एवम् पोस्टमार्टम की कार्यवाही करायी गयी तथा मृतक सलीम उर्फ हीरो के जीजा श्री हसमुददीन पुत्र स्व0 मसरुददीन निवासी पीरबहोडा थाना इज्जतनगर जनपद बरेली के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना इज्जतनगर पर दिनांक 23.09.2025 को मु0अ0सं0 924/2025 धारा 103 (1) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। उक्त अभियोग के अनावरण व गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में थाना इज्जतनगर पर टीम का गठन किया गया। उक्त पुलिस टीम द्वारा अभियोग पंजीकरण के 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में अभियुक्त 1. रफीक उर्फ बबलू पुत्र जुम्मन खां निवासी ग्राम खानपुर थाना कोतवाली ओरैया जनपद ओरैया हाल पता गोविन्दा उर्फ अस्फाक पुत्र मुखत्यार का मकान तालाब के पास मोहल्ला पीर बहोडा थाना इज्जतनगर जनपद बरेली 2. गुड्डू उर्फ तौहीद पुत्र सफीक निवासी पीर बहोडा थाना इज्जतनगर बरेली को दिनांक 24.09.2025 को समय 19.15 बजे विलयधाम पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाहीः-

दिनांक 24.09.2025 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाने पर गठित पुलिस टीम को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त रफीक उर्फ बबूल व गुड्डू उर्फ तौहीद उपरोक्त पुलिस से बचकर कही जाने की फिराक में विलयधाम पुल के पास खडा है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त रफीक उर्फ बबूल व गुड्डू उर्फ तौहीद उपरोक्त को दबिश देकर विलयधाम पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों को रिमाण्ड हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष समय से पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ एवं अभियुक्त का विवरणः-

अभियुक्तों से बारी बारी पूँछताछ की गयी जिसमें अभियुक्त रफीक उर्फ बबलू पुत्र जुम्मन खां निवासी ग्राम खानपुर थाना कोतवाली ओरैया जनपद ओरैया हाल पता गोविन्दा उर्फ अस्फाक पुत्र मुखत्यार का मकान तालाब के पास मोहल्ला पीर बहोडा थाना इज्जतनगर जनपद बरेली द्वारा वताया कि साहब मै मूल रूप से जिला ओरैया का रहने वाला हूं, पिछले तीन चार वर्षो से गोविन्दा उर्फ अशफाक पुत्र मुख्तयार नि0 पीरबहौडा के मकान मे किराये पर रहता हूं तथा मेहनत मजदूरी करता हूं। मेरी दोस्ती सलीम उर्फ हीरो तथा गुड्डू उर्फ तोहीद से हो गयी थी। मै शराब के सेवन भी करता हूं तथा सलीम उर्फ हीरो तथा तोहिद उर्फ गुड्डू भी शराब पी लेते है। अक्सर हम लोग शाम के समय पीर बहौडा पैट्रोल पंप के पास जुम्मन के खोखे पर जाकर सामने शराब की हट्टी

से शराब खरीदकर पी लेते थे। दिनांक 22.09.2025 को शाम को हम तीनो ने वही तखत पर बैठकर शराब पी थी फिर हमे भूख लग आई तो मैने सलीम उर्फ हीरो को 200 रूपये खाना लाने के लिये दिये उन 200 रूपयो को लेकर सलीम उर्फ हीरो खाना लेने चला गया मै तथा मेरा दोस्त गुड्डू उर्फ तोहीद वही बैठे रहे थोडी देर बाद सलीम उर्फ हीरो वापस आया तथा खाना नही लाया। मैने सलीम उर्फ हीरो से पूछा कि खाना क्यो नही लाए हो तो उसने कहा कि मै एक क्वार्टर और लेकर आया हूं, इसे पीलो इसके बाद खाना लेकर आऊंगा हम तीनो ने वह क्वार्टर पी लिया फिर मैने सलीम उर्फ हीरो से कहा अब जाकर खाना ले आ तो सलीम उर्फ हीरो ने कहा खाना तुम लाओ मेरे पास पैसे नही बचे है तब मैने उससे कहा कि मैने तुम्हे 200 रूपये खाना लाने के लिए दिए थे कहा गये तो उसने कहा कि 100 रूपये का मै क्वार्टर ले आया तथा 100 रूपये मुझसे खर्च हो गये, अब मेरे पास पैसे नही बचे है। मै खाना नही लाउंगा इस पर वह मुझे गाली गलौच करने लगा मैने भी उसको गालियां दे दी तथा हमारी मुंहभाषा होने लगी तभी मेरे साथी गुड्डू उर्फ तोहीद ने कहा कि भाई जब तुम खाना नही लाये हो तो उसके 100 रूपये लौटा दो तो इस पर वह गुड्डू उर्फ तोहीद को भी गाली देने लगा। फिर मैने गुस्से मे सलीम उर्फ हीरो को चाटा मार दिया जिस पर वह हमे मारने के लिये ईंट उठाने चला और गाली देने लगा, तभी सलीम उर्फ हीरो को गुड्डू ने पकड लिया और मैने वही पर पडी सीमेंटेड ईंट को उठाकर सलीम उर्फ हीरो के सर मे दो बार वार किये जिससे वह बेहोश होकर तख्त पर गिर गया। फिर मेरे साथी गुड्डू उर्फ तोहीद ने ईंट उठाकर इसके मुंह पर वार किया जिससे सलीम उर्फ हीरो का काफी खून बह गया, फिर हम दोनो घबरा गये तथा पैट्रोल पंप पर गार्ड के पास गये गार्ड ने हमे वहां से धमका कर भगा दिया। दोनो ने पूछताछ में बताया कि साहब जब हमे पता चला कि पुलिस मे रिपोर्ट हो गयी है, तो हम दोनो माफी मांगने सलीम उर्फ हीरो के बहनोई हसमुददीन पुत्र स्व0 मसरुददीन निवासी पीरबहोडा बरेली के पास तथा खोखे के मालिक जुम्मन के पास गये तो इन दोनो ने हमे धमका कर भगा दिया। आज हम कही बाहर जाने की फिराक मे थे कि पुलिस ने हमे पकड लिया है। साहब हम दोनो लोगो से गलती हो गयी माफी चाहते हैं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण एंव पेशा</u>

1. रफीक उर्फ बबलू पुत्र जुम्मन खां निवासी ग्राम खानपुर थाना कोतवाली ओरैया जनपद ओरैया हाल पता गोविन्दा उर्फ अस्फाक पुत्र मुखत्यार का मकान तालाब के पास मोहल्ला पीर बहोडा थाना इज्जतनगर जनपद बरेली उम्र करीब 40 वर्ष। पेशा – मजदूरी करता है।
2. गुड्डू उर्फ तौहीद पुत्र सफीक निवासी पीर बहोडा थाना इज्जतनगर बरेली उम्र करीब 30 वर्ष। पेशा – मजदूरी करता है।

<u>घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरणः-</u>

1. मु0अ0सं0 924/24 धारा 103(1) बीएनएस थाना इज्जतनगर बरेली

<u>पुलिस टीम का विवरणः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री बिजेन्द्र सिंह थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।
2. उ0नि0 श्री जसबीर सिंह थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।
3. हे0कां0 धनीश सक्सेना थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।
4. हे0कां0 विशाल थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।
5. कां0 1054 राजेश थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।
6. कां0 218 अनुराग थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।